



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-498

New Delhi: 23.06.2021

श्री तारा चन्द, जसवंत सिंह
पुत्र श्री राम सिंह
निवासी - नगला भीजद लाइन पार
मोबाइल टावर वाली गली टूंडला खाम
पोस्ट - टूंडला ज., तहसील - टूंडला
मौजा - धनवारा क्षेत्र, जनपद - फ़िरोज़ाबाद
उत्तर प्रदेश-283204
मोबाइल-8791202065, 8445659932

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।


संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 14.06.2021, जो मुख्य महाप्रबंधक/ टूंडला, के कार्यालय में दिनांक 15.06.2021 को एवं इस कार्यालय में दिनांक 22.06.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिबबर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ



(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक/प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

TDL/EN/RTI/212(A)

Dated: 17.06.2021

सेवा में,

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/मानव संसाधन,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
टूण्डला/आगरा।

विषय:—सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत जानकारी उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भ:—प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2021 इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 15.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे आपको अवगत कराया जाना है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत प्रार्थी श्री ताराचन्द्र के द्वारा दिनांक 17.09.2020 को दिये गये प्रार्थना पत्र में की गई कार्यवाही से अवगत कराये जाने हेतु आवेदन दिया गया है, इस सम्बंध में आपको अवगत कराया जाता है कि प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2020 (प्रति संलग्न) में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि धारा 20ई० के गजट नोटिफिकेशन के तहत, भूमि अधिग्रहण की अग्रिम कार्यवाही अभी तक लम्बित है।

इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत एक अभ्यावेदन पुनः दिया गया है, जिसमें रेल मंत्रालय द्वारा जारी गजट में गाटा सं 251 में सत्यप्रकाश पुत्र सामले की मृत्यु के पश्चात उनके वारिस ताराचन्द्र व जसवंत सिंह पुत्र स्व० रामसिंह का नाम दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत निहित नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित।

धन्यवाद।

(एम०के०जैन)
उप परियोजना प्रबंधक
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
टूण्डला/आगरा।